3/24

FORM NO - III

फर्द अहकार

(नियम 26)

अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ जिला अजमेर

प्रकरण संख्या ....34/2024....

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़

बनाम

....

किस्म मुकदमा :— प्रार्थना पत्र धारा 131, 132 एलआरए नम्बर .... सन् 2021

व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/03/2024	तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा ग्राम **उदयपुरखुर्द** तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर की अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज **भूमि** खसरा नम्बर 29 रकबा 9.9588 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 हरड़ा में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.6600 हैक्टेयर भूमि का अंकन राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू—अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी नकल नक्शा, मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का उदयपुरखुर्द परिशिष्ट—ए एवं अभिशंषा तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में प्रस्तावित भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज होने के कारण उक्त रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु प्रकरण अजमेर विकास प्राधिकरण में भिजवाये जाने पर उपायुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि को राजहीत में रास्ते हेतु दर्ज करने में अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। प्रार्थना पत्र न्यायालय क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार किशनगढ़ से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात् का ध्यान पूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे तहसीलदार (भू0अ0) किशनगढ़ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल रहे। तहसीलदार किशनगढ़ आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में गै0मु0 रास्ता अमल दरामद करे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाब्ता दाखिल हो। [signature] **उपखण्ड अधिकारी** **किशनगढ़ (अजमेर)**	